संख्या– 1803/अड़तीस–6–11–12एसजीएसवाई/2008

प्रेषक,

एन0 एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, संतरविदासनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, फैजाबाद, मथुरा, मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ, फर्रूखाबाद, बस्ती, रायबरेली, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक–21 दिसम्बर, 2011

विषयः–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की स्थापना हेतु संबंधित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर भूमि_उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगारयुक्त बनाये जाने हेतु देश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की स्थापना सम्बन्धित जनपद के लीड बैंक के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु प्रति संस्थान रू0 1.00 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित लीड बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। इन प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व सम्बन्धित जनपदों के लीड बैंक का होगा। लीड बैंक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जाने पर उनसे प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को स्वरोजगार चलाये जाने हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि राज्य सरकार द्वारा चयनित लीड बैंक को निःशुल्क अथवा न्यूनतम लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराई जानी है। लीज–डीड सह–मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग का निष्पादन सम्बन्धित विभाग द्वारा, जिसकी भूमि लीज पर ली जा रही है, द्वारा किया जायेगा।

2. भारत सरकार द्वारा उक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रथम चरण में प्रदेश के 21 जनपदों; मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, संतरविदासनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, फैजाबाद, मैनपुरी, सुल्तानपुर, मथुरा गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ, मुरादाबाद, फर्रूखाबाद, रायबरेली एवं बस्ती जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का विनिश्चय किया गया है। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के माध्यम से उक्त 21 जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 1.00 करोड़ की दर से धनराशि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये जाने की सूचना दी गई है।

3. प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगारयुक्त बनाया जाना प्रदेश शासन के लिये प्राथमिकता का कार्य है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना हेतु सम्बन्धित लीड बैंक को भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता भारत सरकार को दी गई है। तद्नुसार आरसेटी की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपयुक्त भूमि को चिन्हित करते हुये संबंधित लीड बैंक की सहमति से जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव मांगे गये थे जो आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित 21 जनपद में से निम्नलिखित 18 जनपदों में निम्नानुसार चिन्हित भूमि आरसेटी की स्थापना हेतु लीड बैंको को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र सं 0	जनपद का नाम	भूमि का विवरण	भूमि का स्वामित्व/ प्रशासनिक विभाग	लीड बैंक
1	2	3	4	5
1	जौनपुर	तहसील सदर के ग्राम पयागपुर स्थित आ0नं0–15 मे से 1.00 एकड भूमि	भूमि पबन्धक समिति पयागपुर/राजस्व विभाग	यूनियन बैंक
2.	संतरविदास नगर	तहसील ज्ञानपुर के ग्राम क्षेत्र शाहपुर के आ0नं0–339 में से 0.6630 हे0 भूमि	भूमि प्रबन्धक समिति क्षेत्र शाहपुर/राजस्व विभाग	यूनियन बैंक
3.	रामपुर	तहसील सदर के ग्राम ठोठर में उपलब्ध भूमि आ0सं0 482 में क्षेत्रफल 0 .089 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति ठोठर/राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
4.	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	तहसील अमेठी के ग्राम गुंगवाछ में गाटा सं0– 461 में से 0.6200 हे0 भूमि	भूमि प्रबन्धक समिति गुंगवाछ/राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
5.	मथुरा	तहसील छाता की ग्राम सभा	भूमि प्रबन्धक समिति	सिंडिकेट बैंक

		अकबरपुर स्थित गाटा सं0–458 मे से 0.405 हे0 भूमि	अकबरपुर/राजस्व विभाग	
6.	लखनऊ	तहसील मोहनलालगंज के ग्राम गोरा के गाटा सं0–1536 ख मे से 0.506 हे0 भूमि	भूमि प्रबन्धक समिति गोरा/राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
7.	बस्ती	ग्राम रामपुर परगना–महुली पश्चिम की गाटा सं0–504 मे से 0.404 हे0 भूमि	भूमि प्रबन्धक समिति रामपुर/राजस्व विभाग	भारतीय स्टेट बैंक
8.	फर्रूखाबाद	ग्राम सभा–खडना धमगवा, तहसील–कासगंज में गाटा संख्या–138 मि0 क्षे0 0.405हे0	भूमि प्रबन्धक समिति, खडना धमगवा / राजस्व विभाग	बैंक आफ बड़ौदा
9.	गोरखपुर	तहसील सहजनवा के ग्राम बडगहन की आ0नं0 596 में रकबा 0.536 हे0(ग्राम समाज की भूमि से विनिमय किया जा चुका है।	भूमि प्रबन्धक समिति, बडगहन/राजस्व विभाग	भरतीय स्टेट बैंक
10.	रायबरेली	तहसील सदर की ग्राम पंचायत दाउदनगर की गाटा सं0–245 में से 0.405 हे0 भूमि	भूमि प्रबन्धक समिति दाउदनगर/राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
11.	मऊ	विकास खण्ड परदहा परिसर के गाटा सं0–2328 में से 1.00 एकड़ भूमि	विकास खण्ड, परदहा/ ग्रा0वि0वि0	यूनियन बैंक
12.	वाराणसी	विकास खण्ड हदहुआ के ग्राम अहिरौली के गाटा सं0–00270 में से 0.405 हे0भूमि	उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद/ग्रा0वि0वि0	यूनियन बैंक
13.	गाजीपुर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गाजीपुर के गाटा सं0–13/1 में से 1.05 एकड़ भूमि	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजीपुर/ग्रा0वि0वि0	यूनियन बैंक
14	बरेली	तहसील बरेली के ग्राम भोजीपुरा में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की भूमि से 1.00 एकड़ भूमि	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, भोजीपुरा/ग्रा0वि0वि0	बैंक आफ बडौदा
15.	फैजाबाद	क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, फैजाबाद के परिसर में से 1.00 एकड़ भूमि	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, फैजाबाद/ग्रा0वि0वि0	बैंक आफ बडौदा
16.	मेरठ	तहसील सरधना के विकास खण्ड सरूरपुर के ग्राम भूनी के खसरा नं0–397 में से 1.00 एकड़ भूमि	विकास खण्ड, सरूरपुर/ ग्रा0वि0वि0	सिंडीकेट बैंक
17.	सिद्धार्थनगर	विकास भवन परिसर मे से 1.00 एकड भूमि	विकास भवन, सिद्धार्थनगर ग्रा0वि0वि0	भारतीय स्टेट बैंक
18.	बुलन्दशहर	ग्राम वलीपुरा, बुलन्दशहर के गाटा सं0–95 रकबा 0.253 हे0 व गाटा सं0–96/1 रकबा 0.265 हे0 कुल रकबा 0.518	राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर/ कृषि विभाग	पंजाब नेशनल बैंक

4. जनपद मैनपुरी में सम्बन्धित लीड बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) द्वारा स्वयं भूमि क्रय कर आरसेटी का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है, जनपद–मुरादाबाद में प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित प्रकरण सम्प्रति मा0 न्यायालय में

विचाराधीन है तथा जनपद गौतमबुद्धनगर मूलतः नगरीय क्षेत्र होने के कारण वहॉ आरसेटी की स्थापना प्रस्तावित नहीं है।

5. आरसेटी की स्थापना हेतु उपरोक्त प्रस्तर–3 में जनपदवार चिन्हित भूमि सम्बन्धित लीड बैंक को 33 वर्ष की लीज पर सौ रूपये वार्षिक लीज रेन्ट पर सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति/प्रशासकीय विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। लीज की अवधि की समाप्ति पर लीज की समयवृद्धि हेतु यथासमव निर्णय लिया जायेगा। सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति/प्रशासनिक विभाग, जिनका उक्त भूमि पर स्वामित्व है, के जनपद स्तरीय अधिकारी व सम्बन्धित लीड बैंक के मध्य एक मेमोरेन्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग इस आशय का निष्पादित किया जायेगा कि सम्बन्धित लीड बैंक द्वारा लीज पर दी गयी भूमि का उपयोग केवल आरसेटी की स्थापना व संचालन हेतु किया जायेगा तथा किसी भी अन्य संस्था/व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। भूमि लीड बैंक के पास तब तक रहेगी जब तक आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द नहीं कर दिया जाता। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द कर दिये जाने की दशा में भूमि सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति/राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग को स्वतः वापस हो जायेगी।

6. प्रस्तर–3 की सूची के क्रमांक–1 से 10 तक के जनपदों में चिन्हित भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति का है। कमांक–11 से 17 तक के जनपदों में चिन्हित भूमि ग्राम्य विकास विभाग (जिला ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान एवं विकास खण्ड) के स्वामित्व की है। क्रमांक–18 पर अंकित जनपद–बुलन्दशहर में चिन्हित भूमि का स्वामित्व कृषि विभाग का है।

7. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार चिन्हित भूमि आरसेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित लीड बैंक को 33 वर्ष की लीज पर अविलम्ब उपलब्ध कराने एवं कृत कार्यवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(एन0एस0रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1803 / अड़तीस–6–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2– प्रमुख सचिव, वित्त / राजस्व / कृषि / नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4– ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ।
5– मण्डलायुक्त, लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, विन्ध्यांचल मंडल(मिर्जापुर)।
6– मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, जनपद– मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, संतरविदासनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, फैजाबाद, मथुरा, मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ, फर्रूखाबाद, बस्ती, रायबरेली, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर।
7– प्राचार्य, क्षेत्रीय / जिला ग्राम्य विकास संस्थान, गाजीपुर, बरेली एवं फैजाबाद।
8– लीड बैंक आफीसर, जनपद– मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, संतरविदासनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, फैजाबाद, मथुरा, मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ, फर्रूखाबाद, बस्ती, रायबरेली, छत्रपतिशाहूजीमहाराजनगर।
9– जनरल मैनेजर / असिस्टेंट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सिंडीकेड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उ0प्र0 लखनऊ।
10– श्री संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।